Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
January to March 2025 E-Journal, Volume I, Issue XLIX, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवैधानिक दृष्टिकोण

विजय लक्ष्मी जोशी *

* सहायक प्राध्यापक, शासकिय विधि महाविद्यालय, शाजापुर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – पर्यावरण और प्राणी एक दूसरे पर आश्रित है। यही कारण हैं कि भारतीय चिंतन में पर्यावरण संरक्षण की अवधारणा उतनी ही प्राचीन हैं जितना मानव जाति का ईतिहास। भारतीय संस्कृति में पर्यावरण के महत्व को समझने के लिए इसे प्राचीन काल से ही जीवन दर्शन के साथ पिरोह कर रखा गया हैं। भारतीय वेदों ने प्राकृतिक शक्तियों को देवी देवताओं का रूप देकर पर्यावरण संरक्षण को ऊँचा दर्जा दिया है। हमारें यहॉ शास्त्रों में कहा गया हैं–

यावत् भूमंडलं धत्ते, सशैलवन काननम्।
तावत्तिष्ठति में दिन्यां संतति: पुत्र पौत्रिकी।।

अर्थात् जब तक धरती पर पर्वत और हरे–भरे वन रहेंगें, तब तक हम और हमारी भावी पीढियॉ जीवित और खुशहाल रहेगी। आधुनिक जीवन शैली और वैश्वीकरण ने पर्यावरण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। औद्योगीकरण के कारण पर्यावरण प्रदूषण लगातार बढ़ रहा हैं, पर्यावरण प्रदूषण से निपटने एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए कई कानून बनाए जा चुके है, किन्तु प्रस्तुत शोध पत्र में उनका वर्णन न करके केवल भारतीय संविधान द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए किए गए प्रावधानों का संक्षिप्त में वर्णन कर पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवैधानिक दृष्टिकोण को समझाया गया है।

शब्द कुंजी– पर्यावरण, पर्यावरण संरक्षण, भारतीय संविधान।

पर्यावरण की परिभाषा :– पर्यावरण शब्द दो शब्दों परि+आवरण से मिलकर बना है। परि का अर्थ है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ है वातावरण। अत: पर्यावरण का अर्थ हुआ हमारे चारों ओर का वातावरण। अंग्रेजी भाषा में पर्यावरण को Environment कहते है। Environment शब्द दो अंग्रेजी शब्दों Environ+ment से मिलकर बना है। Environ का अर्थ है to encircle अर्थात घेरना है एवं ment का अर्थ है from all sides अर्थात् चारों ओर से घेरना है। अतएव पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है चारों ओर से घेरने से है। अत: पर्यावरण बाह्य आवरण का द्योतक है।

प्रथम बार पर्यावरण को वृहद रूप में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2(क) में परिभाषित किया गया है। धारा 2 (क) के अनुसार – 'पर्यावरण के अंतर्गत जल, हवा और भूमि तथा जल, भूमि और हवा तथा मानव प्राणी, अन्य जीवित प्राणी, पौधे, सूक्ष्म जीवाणु तथा संपत्ति और उनके बीच विद्यमान अंतर्सम्बन्ध सम्मिलित है।' उपर्युक्त परिभाषा के अनुसार पर्यावरण में

(1) भूमि, जल, वायु शामिल है और
(2) भूमि, जल, वायु तथा मानव प्राणियों एवं अन्य

जीवित प्राणियों, पादपों, सूक्ष्म जैविक और सम्पत्ति तथा उनके बीच पारस्परिक संबंध शामिल है।

वुडवर्थ के अनुसार :– 'पर्यावरण शब्द का अभिप्राय उन सब बाहरी शक्तियों एवम् तत्वों से हैं, जो व्यक्ति को आजीवन प्रभावित करते हैं।'

पर्यावरण का सामान्य अभिप्राय उस वातावरण से हैं, जो हमारे चारों ओर फैला हुआ है। जल, वायु, मृदा, वन, वन्य जीव पादप सभी पर्यावरण के घटक है। पृथ्वी पर पर्यावरण की उपस्थिति के कारण ही मानव जीवन का अस्तित्व संभव हो सका है। वायु, जल के बिना मानव जीवन की कल्पना करना अशक्य है। अत: पर्यावरण का संरक्षण मानव जीवन के अस्तित्व के लिए नितांत आवश्यक है।

पर्यावरण संरक्षण :– पर्यावरण संरक्षण से आशय है– पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना एवं प्रकृति के अनवीनीकरण स्त्रोत जैसे–जल, कोयला, डीजल, पेट्रोल आदि को भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित रखना।

वर्तमान में आर्थिक विकास हेतु प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के कारण एवं वाहनों, कारखानों से निकलते धुएँ के कारण, कारखानों से नदियों में हानिकारक रसायनों के बहाव के कारण पर्यावरण का अत्यधिक क्षरण हो रहा है एवं पर्यावरण प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है। ओजोन की परत में छिद्र होने के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा हैं जिससे भविष्य मे बर्फीले ग्लेशियरों के पिघलने के परिणामस्वरूप पृथ्वी पर जल का स्तर बढ़ जाएगा एवं पृथ्वी जल में समाहित हो जाएगी, जिससे मानव जीवन खतरे में आ जाएगा। अत: पर्यावरण संरक्षण मानव जीवन के अस्तित्व के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

पर्यावरण संरक्षण के लिए संवैधानिक दृष्टिकोण :– भारत विश्व के उन चुनिंदा देशों में से एक हैं जिसके संविधान में पर्यावरण संरक्षण को विशेष दर्जा दिया गया है। भारतीय संविधान में मूल अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिन्हें संविधान की अंतर्रात्मा कहा गया है, के साथ–साथ मूल कर्तव्यों में भी पर्यावरण संरक्षण को समाहित किया गया है। स्टॉक होम घोषणा 1972 जिसे 119 देशों ने स्वीकार किया जिसमें भारत भी शामिल

था, के परिणामस्वरूप भारत में पर्यावरणीय सोच में चतुर्दिक विकास हुआ, संविधान का 42वॉ संशोधन अधिनियम 1976 इस विकसित सोच का स्पष्ट उदाहरण है। इस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के नीति निदेशक तत्वों, मूल कर्तव्यों तथा विधायी प्रविष्टियों में संशोधन करके पर्यावरण संरक्षण के प्रति गंभीरता को व्यक्त कर संविधान ने पर्यावरण संरक्षण में अपनी महत्ती भूमिका निभाई है। इसके अतिरिक्त न्यायपालिका ने सृजनात्मक व्याख्या के द्वारा मूल अधिकारों में स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को शामिल करके इसे मूल अधिकार का दर्जा दिया है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवैधानिक दृष्टिकोण को निम्नलिखित संवैधानिक प्रावधानों की सहायता से समझा जा सकता है–

अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार : – संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार के अधीन न्यायपालिका ने स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को भी शामिल माना है। निम्नलिखित वाद इसके जीवंत उदाहरण हैं–

वाद– सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य

के मामलें में यह अभिनिर्धारित किया गया कि प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के उपभोग का अधिकार अनुच्छेद 21 में प्रदत्त प्राण के अधिकार में शामिल है।

वाद– चरनलाल साहू बनाम भारत संघ

में उच्चतम न्यायालय ने प्रदूषण मुक्त वायु एवं जल को अनुच्छेद 21, 48–क, और 51–क(छ) के अंतर्गत प्रत्याभूत अधिकार माना।

वाद–विरेन्द्र गौर बनाम हरियाणा राज्य

के वाद में मानव गरिमा के साथ जीने के अधिकार के अंतर्गत पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्द्धन, वायु एवं जल प्रदूषण से मुक्त पारिस्थैतिकी संतुलन और आरोग्य को शामिल माना।

वाद– एम.सी मेहता बनाम भारत संघ

के वाद में न्यायालय ने दिल्ली स्थित श्रीराम फूड एण्ड फर्टिलाइजर कंपनी को ऑलियम नामक खतरनाक गैस बनाने से रोक दिया, जब तक कि कंपनी गैस के रिसाव को रोकने हेतु उचित उपाय नहीं अपनाती है। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने प्रदूषण मुक्त पर्यावरण के अधिकार को अनुच्छेद 21 में मूल अधिकार के रूप में विवक्षित रूप से स्वीकार किया।

वाद– एस. के. कूलवाल बनाम राजस्थान राज्य

के मामलें में यह अभिनिर्धारित किया गया कि 'पर्यावरण की शुद्धता, सफाई और स्वास्थय का रख–रखाव संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत वर्णित प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है।

वाद– राजीव रंजन सिंह बनाम बिहार राज्य

के वाद में यह विचार व्यक्त किया गया कि डिस्टीलरी के बहाव एवं दुर्गंध के जहरीले और हानिकारक प्रभाव से आवासियों को सुरक्षित करने की असफलता संविधान के अनुच्छेद 47 और 48–क के साथ पठित अनुच्छेद 14 और 21 में प्रत्याभूत अधिकार का उल्लंघन है।

वाद– एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ

में पत्थर पिसाई से उत्पन्न पर्यावरण संकट को ध्यान में रखकर उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली, फरीदाबाद और वल्लभगढ़ की फैक्ट्रियों को बंद करने का आदेश देते हुए कहा कि 'प्रत्येक नागरिक का शुद्ध वायु एवं प्रदूषण मुक्त पर्यावरण में जीने का अधिकार है।'

वाद– वी. ए. जैकब बनाम सुपरिटेण्डेट ऑफ पुलिस, कोट्टायम

के मामले में न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 21 में जीने के अधिकार के अंतर्गत सुरक्षित पर्यावरण का अधिकार है और सुरक्षित पर्यावरण में सुरक्षित ध्वनि, सुरक्षित हवा की गुणवत्ता भी शामिल है।

अनुच्छेद 32 :– अनुच्छेद 32 नागरिकों को भाग 3 में प्रदत्त मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए न्यायालय में लोकहित वाद दायर करने का अधिकार देता है। इस अधिकार का प्रयोग कर कई समाजसेवियों एवं संगठनों ने पर्यावरण संरक्षण के मूल अधिकार को लागू करने के लिए अनुच्छेद 32 के अधीन लोकहित वाद दायर कर पर्यावरण संरक्षण में इस अनुच्छेद 32 के महत्व को सार्थक किया है।

वाद– वेल्लोर सिटिजन्स वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ

के वाद में वेल्लोर नागरिक कल्याण फोरम ने अनुच्छेद 32 के अधीन लोकहित वाद दायर करके तमिलाण्डु में चमड़ा तथा अन्य व्यवसाय करने से निकलने वाले अशुद्ध मलवे से पर्यावरण को होने वाली भंयकर हानि की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट करने पर न्यायालय ने चमड़ा कारखाानों को बंद करने एवं प्रत्येक चमड़ा कारखाने पर 10 हजार रूपये प्रदूषण दण्ड लगाने का आदेश दिया।

वाद– इण्डियन काउन्सिल फॉर इनविरोमेंटल लीगल एक्शन बनाम भारत संघ

के वाद में एक पर्यावरण वादी संस्था द्वारा अनुच्छेद 32 के अधीन लोकहित वाद दायर कर देश के रासायनिक कारखानों के आस–पास रहने वाले लोगो की दयनीय स्थिति की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट करने पर न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि ऐसे कारखाने जो सरकार से लाइसेंस प्राप्त किए बिना स्थापित किए जाते है और कानून का उल्लंघन करके अपने आस–पास रहने वाले नागरिकों को प्राप्त दैहिक स्वाधीनता को हानि पहुँचाते है, उनके विरूद्ध समुचित कार्यवाही करने की शक्ति न्यायालय को प्राप्त है। न्यायालय ने दोषी कंपनी को पीड़ितों को प्रतिकर देने का आदेश दिया।

अनुच्छेद 48क :– अनुच्छेद 48क संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया, इसके अनुसार 'राज्य देश के पर्यावरण की संरक्षा तथा उसमें सुधार करने का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।'

वाद– सच्चिदानंद पाण्डेय बनाम पश्चिमी बंगाल राज्य

के मामलें में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जब कभी न्यायालय के समक्ष पारिस्थैतिकी से संबंधित कोई समस्या प्रस्तुत की जाएगी, न्यायालय अनुच्छेद 48क और अनुच्छेद 51क(छ) को ध्यान में रखने के लिए बाध्य है।

वाद– टी. दामोदर राव बनाम एस. ओ. म्यूनिसिपल कारपोरेशन हैदराबाद

के मामले में न्यायालय ने यह अभिमत व्यक्त किया कि अनुच्छेद 48क और 51क(छ) के आलोक में यह स्पष्ट कि पर्यावरण संरक्षण का कर्तव्य केवल नागरिकों पर ही नहीं है बल्कि न्यायालय सहित राज्य के सभी अंगों का दायित्व है।

अनुच्छेद 51क(छ) :– स्टॉकहोम घोषणा 1972 से प्रेरित होकर किए गए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4क मूल कर्तव्य में 51क(छ) के रूप में पर्यावरण संबंधी नागरिकों का मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। संविधान का अनुच्छेद 51क(छ) यह उपबंधित करता है कि 'भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है रक्षा करे और उनका

संवर्द्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे।

अनुच्छेद 252 :- संविधान के अनुच्छेद 252(1) के अनुसार 'यदि किन्हीं दो या अधिक राज्यों के विधान मंडलों ने यह संकल्प पारित कर दिया है कि राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को विधि बनाना वांछनीय है तो संसद उस विषय पर विधि बना सकती है। ऐसी विधि को अन्य राज्य भी संकल्प पारित करके अंगीकार कर सकते है। संसद ने इस अनुच्छेद के तहत विभिन्न राज्य मण्डलों की सहमति पर जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1954 पारित किया है।

अनुच्छेद 253 :- संविधान के अनुच्छेद 253 के अधीन संसद को अंतर्राष्ट्रीय संधियों और करारों के क्रियान्वयन के लिए, चाहे वह राज्य सूची का विषय क्यों न हो भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या किसी भाग के लिए विधि बनाने की शक्ति है। संसद ने इस अनुच्छेद में दी गई विधयी शक्ति का प्रयोग कर वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया है।

निष्कर्ष :- अत: निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान ने पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किंतु फिर भी पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में हम पूर्णत: सफल नहीं हो पाये है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण न केवल मानव स्वास्थय पर बल्कि अर्थव्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई **मुद्रा और वित्त रिपोर्ट 2022-23** के अनुसार जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण के कारण 2030 तक जीडीपी में 4.5% तक की गिरावट का अनुमान है। अत: इससे यह स्पष्ट है कि पर्यावरण का संरक्षण करना अति आवष्यक हैं। अत: हम सब को मिलकर यह प्रयत्न करना चाहिए कि हम अपनी आनी वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर एक हरी-भरी पृथ्वी छोड़कर जाए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. अनिरूद्ध प्रसाद, पर्यावरण एवं पर्यावरणीय संरक्षण विधि की रूपरेखा, चतुर्थ संस्करण, इलाहाबाद, सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स, 2006
2. डॉ. जयनारायण पाण्डेय, भारत का संविधान, 42वां संस्करण, इलाहाबाद, CLA, 2009
3. The study IQ, 21 october 2021, पर्यावरण की परिभाषा, 22 march, 2024, https://www.thestudyiq.com.
4. Social-work.in, 22 february 2023, Paryavaran-Kya-hai, 21march,2024, https://socialwork.in.
5. Drishti Ias, How pollution impact Economic growth?, 4 may 2024, https://youtu.be/0Nuyk9lSh70?si=m7PkWfbTXZd47gOj.

****